

06/5/22

पत्रावली वकील प्रार्थी व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सिजे सेतब की गई। प्रार्थी मंजीलाल उपस्थित। प्रार्थी की को दो मूल वाद में विद्वान सिंह राहौड. N.A. ने पार पेश किया, तथा प्रार्थीना पत्र प्रकरण में कार्यवाही बंद करने का पेश किया। जो स्वीकार किया गया। इस प्रकरण के मूल वाद का निहाराण हो चुका है। इस पत्रावली की कार्यवाही इसी दफ्तर पर समाप्त की जाये है पत्रावली के अंत शुभ हो का नमन देका है।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

18

3

मीरापुत्र

